

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6200793 / पटना, दिनांक :- 08.09.26

ग्राOविO- R-504/13/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-455287)

श्री कृष्ण कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-338932), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार (कटिहार) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (दरभंगा) के विरुद्ध केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) परीक्षा के विज्ञापन संख्या-01/2023 के अंतर्गत दिनांक-18.08.2024 को सम्पन्न लिखित परीक्षा की गोपनीय सामग्री को निदेश के बावजूद मनमाने तरीके से अनुपयुक्त मार्ग से अत्याधिक विलंब से दिनांक-19.08.2024 को रात्रि में पहुंचाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-189 दिनांक-17.02.2025 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-4238088 दिनांक-20.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-1507 दिनांक-04.10.2025 के माध्यम से श्री कुमार का स्पष्टीकरण विभाग में प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-5032598 दिनांक-07.10.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-1990 दिनांक-26.06.2026 द्वारा श्री कृष्ण कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कृष्ण कुमार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोप पत्र के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कृष्ण कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

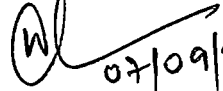
अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री कृष्ण कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-338932), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार (कटिहार) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (दरभंगा) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम-3 के तहत "चेतावनी" संसूचित की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कृष्ण कुमार के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

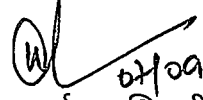
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नलिन प्रताप राणा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 6200793 / पटना, दिनांक :- 08.09.26

संचिका सं०- R-504/13/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-455287)

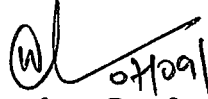
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6200793 / पटना, दिनांक :- 08.09.26

संचिका सं०- R-504/13/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-455287)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं दरभंगा/उप विकास आयुक्त, कटिहार एवं दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री कृष्ण कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-338932), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार (कटिहार) सम्प्रति-सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (दरभंगा)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6200793 / पटना, दिनांक :- 08.09.26

संचिका सं०- R-504/13/2025-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-455287)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी